

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जुलाई 2011—आषाढ़ 11, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

अधिसूचना क्र. 34-एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नगरपालिकाओं में निम्नांकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद के सहवित्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र. (1)	नगरपालिका का नाम व जिला (2)	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम (3)	पता (4)
1	नगरपालिका, विदिशा, जिला-विदिशा	श्रीमती रूपा जैन पति श्री रवि जैन	खरी फाटक रोड, काली मस्जिद के पास, विदिशा.
2	नगरपालिका, विदिशा, जिला-विदिशा	श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री सीताराम चौहान	कल्या बिल्डिंग के सामने, वार्ड क्रं. 10, विदिशा.
3	नगरपालिका, विदिशा, जिला-विदिशा	श्री रमेश हरिशंकर अग्रवाल	नंदवाना, विदिशा.
4	नगरपालिका, विदिशा, जिला-विदिशा	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री कमलसिंह मारन	अहमदपुर रोड, विदिशा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव.